भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 335

02 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: एमआईएसएस के तहत जारी किसान क्रेडिट कार्ड

335. श्री केसिनेनी शिवनाथः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत जारी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की कुल संख्या का राज्य-वार और आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में केसीसी के माध्यम से संशोधित व्याज सबवेंशन योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋणों की कुल संख्या का वर्ष-वार, राज्य-वार और आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में केसीसी के माध्यम से संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत ऋण के रूप में प्रदान की गई कुल धनराशि का वर्ष-वार, राज्य-वार और आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में ऋण की समय पर चुकौती हेतु योजना के अंतर्गत त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या का वर्ष-वार, राज्य-वार और आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार आंध्र प्रदेश सहित पूरे भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) के रूप में जानी जाने वाली 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है। इस योजना के तहत, महिला किसानों और आदिवासी समुदायों सहित सभी किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण मिलता है। इसे सुगम बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% की अग्रिम ब्याज सहायता (आईएस) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जिससे

ब्याज दर प्रभावी रूप से घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। 3 लाख रुपये तक की ऋण सीमा के लिए आईएस और पीआरआई का लाभ उपलब्ध है। तथापि, यदि अल्पकालिक ऋण संबद्ध गतिविधियों (क्रॉप हस्बैंडरी के अलावा) के लिए लिया जाता है, तो ऋण राशि केवल 2 लाख रुपये तक सीमित है।

संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत केसीसी एक मांग-आधारित पहल है और इसका लाभ सभी किसानों को मिलता है। पिछले तीन वर्षों में किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) के माध्यम से एमआईएसएस के तहत जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड-एमआईएसएस की कुल संख्या/ऋण प्राप्त करने वाले कुल खातों, ऋण के रूप में दी गई कुल धनराशि और जारी की गई पीआरआई का राज्य-वार और जिला-वार (आंध्र प्रदेश में) विवरण क्रमशः **अनुबंध I** और **अनुबंध II** में दिया गया है।

अनुबंध-I

"एमआईएसएस के तहत जारी किसान क्रेडिट कार्ड" पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 335 के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण, जिसका उत्तर 02.12.2025 को दिया जाना है।

एमआईएसएस के अंतर्गत केसीसी का राज्यवार डेटा													
		योजना वर्ष 22-23				योजना वर्ष 23-24				योजना वर्ष 24-25			
क्र. सं.	राज्य	ऑपरेटिव केसीसी खातों की संख्या	क्रेडिट विस्तारित (करोड़ रुपये में)	एमआई एसएस के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले खातों की संख्या (केआरपी) (वास्तविक में)	खातों की संख्या जिनमें PRI दिया गया (वास्तविक में)	ऑपरेटिव केसीसी खातों की संख्या	क्रेडिट विस्तारित (करोड़ रुपये में)	एमआई एसएस के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले खातों की संख्या (केआरपी) (वास्तविक में)	खातों की संख्या जिनमें PRI दिया गया (वास्तविक में)	ऑपरेटिव केसीसी खातों की संख्या	क्रेडिट विस्तारित (करोड़ रुपये में)	एमआई एसएस के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले खातों की संख्या (केआरपी) (वास्तविक में)	खातों की संख्या जिनमें PRI दिया गया (वास्तविक में)
1	अंडमान और निकोबार	9,056	38	1,197	379	8,324	23.41	1,450	510	8,368	23.60	705	119
2	**आंध्र प्रदेश**	**45,51,558**	**60,883**	**35,18,036**	**10,90,948**	**48,53,487**	**65,454.76**	**34,96,465**	**16,33,771**	**47,33,502**	**68,002.71**	**33,94,992**	**23,70,498**
3	अरुणाचल प्रदेश	10,100	81	4,434	1,640	18,388	194.73	4,957	260	22,484	253.68	7,973	2,209
4	असम	6,46,919	3,895	1,10,986	27,595	6,70,832	4,615.97	91,628	15,705	5,53,146	4,930.82	1,06,428	44,042
5	बिहार	25,76,527	17,388	4,31,451	1,28,367	28,80,585	19,151.92	4,70,188	1,12,805	28,20,939	19,369.37	4,56,447	1,41,862
6	चंडीगढ़	1,475	99	307	193	1,582	125.73	299	84	1,010	112.68	296	172
7	छत्तीसगढ़	19,17,435	10,757	16,13,319	13,89,208	21,45,836	10,581.72	17,54,954	15,14,880	19,08,855	15,088.13	17,82,085	15,81,176
8	दिल्ली	2,861	45	1,748	466	2,761	42.91	1,504	686	2,614	41.60	1,378	390
9	गोवा	9,458	111	7,687	2,461	11,649	148.06	8,043	1,335	11,918	177.99	7,707	4,179
10	गुजरात	30,18,544	62,391	23,44,692	13,43,440	31,37,242	71,132.16	23,89,510	6,93,841	32,24,050	77,427.53	24,15,221	16,55,380
11	हरियाणा	22,86,953	50,045	15,62,643	10,08,910	23,61,829	53,999.65	15,17,345	9,46,137	24,00,489	55,411.02	14,81,559	11,77,043
12	हिमाचल प्रदेश	4,60,441	7,636	3,84,316	2,26,489	5,02,861	9,071.72	3,88,832	1,59,731	5,10,282	9,571.55	4,20,030	2,55,018
13	जम्मू और कश्मीर	9,10,514	6,363	5,68,248	2,05,644	10,66,887	6,973.56	5,74,601	1,62,363	11,13,136	7,378.74	6,30,063	26,823
14	झारखंड	9,67,591	5,200	5,08,690	51,022	9,95,531	5,559.96	4,50,444	53,172	9,68,619	5,667.58	4,32,951	1,15,120

15	कर्नाटक	47,21,067	54,181	37,64,939	27,43,946	54,98,818	62,794.38	39,76,330	6,67,266	53,76,056	67,542.32	40,63,992	36,02,149
16	केरल	25,94,466	43,401	19,23,824	8,83,669	26,58,063	49,952.20	24,50,508	10,27,316	24,11,756	44,787.86	20,31,929	17,18,740
17	लद्दाख	28,072	258	18,018	6,232	28,228	268.43	17,977	5,713	28,170	272.77	18,474	842
18	लक्षद्वीप	1,770	15	756	191	2,555	22.47	1,294	706	3,110	28.42	2,175	1,824
19	मध्य प्रदेश	62,68,740	78,136	35,90,335	21,18,445	65,00,382	84,523.43	36,87,921	17,45,765	65,17,376	88,732.28	26,35,875	18,96,067
20	महाराष्ट्र	71,77,298	70,354	51,45,546	26,31,164	72,17,854	78,018.14	50,24,081	22,02,579	70,31,236	85,046.19	32,40,936	19,45,963
21	मणिपुर	19,693	165	8,135	2,386	19,699	158.55	7,401	960	18,309	161.37	6,658	2,052
22	मेघालय	71,677	360	16,076	2,852	77,422	467.47	18,255	167	85,889	557.00	32,286	10,810
23	मिजोरम	35,093	315	18,981	2,107	51,561	518.33	19,222	223	42,696	387.00	26,993	2,912
24	नागालैंड	30,070	179	22,263	6,382	32,072	191.77	20,191	1,463	36,510	234.46	24,790	14,312
25	ओडिशा	39,71,032	21,744	26,02,502	18,99,459	44,65,567	29,097.39	26,41,286	15,30,469	42,79,001	27,064.30	26,44,701	19,63,259
26	पुडुचेरी	13,413	276	8,494	2,740	20,366	391.76	28,499	4,789	19,361	462.85	14,143	12,987
27	पंजाब	21,98,101	55,428	16,38,390	12,01,091	22,34,658	57,830.26	16,40,200	9,07,061	21,67,523	57,536.13	13,96,237	6,40,535
28	राजस्थान	65,40,646	99,551	55,55,348	37,80,123	68,45,762	1,08,973.48	58,92,590	36,78,793	71,27,277	1,12,362.83	58,38,870	42,71,894
29	सिक्किम	8,702	56	4,826	460	10,115	61.59	5,391	941	10,995	70.57	4,898	2,101
30	तमिलनाडु	35,80,708	42,143	27,24,914	17,79,187	40,31,906	52,112.22	31,60,194	7,54,139	40,38,150	55,120.96	30,62,638	24,05,274
31	तेलंगाना	43,37,476	44,405	24,60,500	4,08,791	45,08,942	47,786.40	29,34,766	10,40,143	45,76,239	50,594.27	29,63,725	13,61,020
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,581	40	650	66	1,543	40.41	710	148	1,447	47.13	600	183
33	त्रिपुरा	1,55,042	507	33,931	4,864	1,64,916	522.40	22,108	4,237	1,71,181	518.16	20,727	9,409
34	उत्तर प्रदेश	1,07,05,196	1,28,123	56,63,565	20,68,300	1,09,17,055	1,38,621.03	55,06,886	14,56,128	1,09,56,279	1,41,374.75	48,93,012	15,29,171
35	उत्तराखंड	5,08,644	6,365	2,89,880	1,59,740	5,54,157	6,479.26	2,79,856	1,23,468	5,11,706	6,237.53	2,67,422	1,71,144
36	पश्चिम बंगाल	31,32,363	14,531	19,38,625	10,06,324	30,04,799	15,85,628	18,47,134	8,68,669	35,20,859	17,459.00	18,21,205	11,79,010

स्रोत: **1.** किसान ऋण पोर्टल (केआरपी), डीए एंड एफडब्ल्यू; केआरपी पर संबंधित योजना वर्ष (एसवाई) के लिए बैंकों द्वारा **07.10.2025** को रिपोर्ट की गई, **22-23** और **24-25** के लिए आंशिक डेटा।

2. डीएफएस (ऑपरेटिव केसीसी और क्रेडिट विस्तारित)

अनुबंध- II

"एमआईएसएस के तहत जारी किसान क्रेडिट कार्ड" पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **335** के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण, जिसका उत्तर **02.12.2025** को दिया जाना है।

आंध्र प्रदेश के लिए KCC के जिलावार आंकड़े							
क्र.सं.	ज़िला	योजना वर्ष 22-23		योजना वर्ष 23-24		योजना वर्ष 24-25	
		एमआईएसएस के अंतर्गत खातों की संख्या/ एमआईएसएस के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले खातों की संख्या (वास्तविक में)	खातों की संख्या जिनमें PRI दिया गया (वास्तविक में)	एमआईएसएस के अंतर्गत खातों की संख्या/ एमआईएसएस के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले खातों की संख्या (वास्तविक में)	खातों की संख्या जिनमें PRI दिया गया (वास्तविक में)	एमआईएसएस के अंतर्गत खातों की संख्या/ एमआईएसएस के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले खातों की संख्या (वास्तविक में)	खातों की संख्या जिनमें PRI दिया गया (वास्तविक में)
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	8,965	582	9,461	661	8,951	1,168
2	अनकापल्ली	30,402	11,161	29,919	4,279	29,164	13,602
3	अनंतपुर	4,72,895	87,312	5,78,323	3,69,894	5,71,977	4,45,324
4	अन्नमय्या	10,758	1,245	13,023	5,099	12,437	7,041
5	बापतला	49,356	9,809	51,253	20,822	51,284	29,079
6	चित्तूर	3,00,177	72,919	2,07,388	1,15,666	1,86,231	1,21,032
7	डॉ.बी.आर.अंबेडकरकोनासीमा	9,841	1,342	10,053	5,347	9,829	5,885
8	पूर्वी गोदावरी	2,18,240	1,21,040	2,05,926	42,951	1,99,782	1,50,812
9	एलुरु	72,972	30,404	75,981	22,657	73,553	46,311
10	गुंटूर	1,49,902	57,866	1,37,184	49,274	1,39,930	97,550
11	काकीनाडा	19,956	4,278	21,866	8,691	22,130	13,911
12	कृष्णा	2,11,811	1,22,045	2,21,962	50,576	2,16,092	1,70,744
13	कुरनूल	4,53,415	86,454	3,71,229	1,94,964	3,43,100	2,23,451
14	नांदयाल	60,197	23,687	57,508	35,300	56,179	42,019
15	एनटीआर	8,181	3,277	8,528	1,134	9,453	5,745
16	पलाण्डु	1,25,178	18,864	1,33,319	70,922	1,35,700	93,202
17	पार्वतीपुरम मान्यम	20,502	1,516	21,357	9,388	18,469	11,103
18	प्रकाशम	2,38,133	58,883	2,69,480	1,60,465	2,70,436	1,86,330
19	एसपीएसआर नेल्लोर	5,662	2,048	6,928	2,330	7,598	4,436

20	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	1,16,099	24,390	1,28,701	65,288	1,27,665	72,218
21	श्री सत्य साई	46,522	23,757	47,548	383	45,081	18,634
22	श्रीकाकुलम	2,49,159	96,012	2,52,546	1,60,899	2,41,233	1,77,880
23	तिरुपति	24,021	2,893	25,018	8,011	24,132	10,905
24	विशाखापत्तनम	91,339	41,885	90,536	23,432	91,511	60,802
25	विजयनगरम	1,20,692	33,551	1,16,722	50,078	1,13,557	69,304
26	पश्चिम गोदावरी	1,38,839	81,938	1,42,839	31,768	1,32,117	1,02,078
27	वाई.एस.आर.	2,64,822	71,795	2,61,867	1,23,496	2,57,401	1,89,932

स्रोत: किसान ऋण पोर्टल (केआरपी), डीए एंड एफडब्ल्यू; बैंकों द्वारा दिनांक 07.10.2025 को केआरपी पर संबंधित योजना वर्षों (एसवाई) के लिए रिपोर्ट किया गया, एसवाई 2022-23 और 2024-25 के लिए आंशिक डेटा

नोट: डीएफएस के उत्तर के अनुसार: जिलावार ऑपरेटिव केसीसी का डेटा उपलब्ध नहीं है।

*****